७

संख्या-360 /2025/6517/नौ-5-2025/001-128Budget-2018

प्रेषक,

~~कल्याण बनर्जी,~~
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-झांसी में नगर पालिका परिषद गुरसराय एवं नगर पंचायत गरौठा नगर की संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु सप्तम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-422/नागर-1/032-410उपयोगिता प्रमाण पत्र (कानपुर क्षेत्र)/2025, दिनांक 31.10.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत **जनपद-झांसी में नगर पालिका परिषद गुरसराय एवं नगर पंचायत गरौठा नगर की संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना** हेतु शासनादेश संख्या-454/2018/मंत्री-392/नौ-5-18-128बजट/2018, दिनांक 01.01.2019 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 8324.27 + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) लाख (परियोजना हेतु स्वीकृत निविदा/टेण्डर की धनराशि रू० 7497.23लाख) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या-51/2019/792/नौ-5-19-128बजट/2018, दिनांक 28.02.2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 900.00 लाख, शासनादेश संख्या-346/2020/2453/नौ-5-20-128बजट/2018, दिनांक 30.03.2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 600.00 लाख, शासनादेश संख्या-280/2021/270/नौ-5-22-128बजट/2018, दिनांक 27.01.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 1000.00 लाख, शासनादेश संख्या-204 /2022/5630/नौ-5-2022 /001-128Budget-2018, दिनांक 19.12.2022 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रूपये 2500.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-770/2025/843/नौ-5-2025/001-128128बजट-2018 दिनांक 21-03-2025 द्वारा षष्ठम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 1000.00 लाख अर्थात् कुल अवमुक्त धनपराशि रूपये 6100.00 लाख के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र हो जाने के दृष्टिगत सप्तम किश्त के रूप में **रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2-

(6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।

(14) विषयगत परियोजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
11.11.2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव।

संख्या-360/2025/6517(1)/नौ-5-2025/001-128Budget-2018, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, झांसी।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियंता (कानपुर क्षे0), उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय), कानपुर।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-गुरसराय/नगर पंचायत-गरौठा, उत्तर प्रदेश।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
11.11.2025
(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-11/11/2025

प्रेषण संख्या:- 360
आवंटन आदेश संख्या:- 001-360-2025-6517-9-5-2025-001-128Bud-2018
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 114737000	100000000 114737000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100000000 114737000	100000000 114737000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ सैंतालीस लाख सैंतीस हजार

(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव